न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 127/2011(जी.सी.एम.एस. 2011/00075) पीठासीन अधिकारी:– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–सायल

बनाम

1. सूखा पुत्र परभाती जाति माली निवासी साकिन डीग– मृतक

1/1. गोविन्द
1/2. मुरारी
1/3. श्याम सिंह } पुत्रगण स्व0 श्री सूखा
1/4. हरिकिशन

1/5. पांचो देवी पुत्री स्व0 श्री सूखा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक: 19.11.2024

सायल तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल.आर.एक्ट इस आशय के साथ पेश किया गया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 7 विस्वा गै0मु0 चाह वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग में स्थित है। जोकि सिवायचक सरकारी कूआ दर्ज रिकार्ड था। साविक खसरा नम्बर 627 रकबा 7 विस्वा ग्राम अचलपुर से हाल खसरा नम्बर 656 रकबा 0–06 हैक्टेयर एवं 657 रकबा 0–01 हैक्टे0 निर्मित हुए है। दौरान सैटिलमेंट साविक खसरा नम्बर 627 से निर्मित हाल आ.ख.नम्बर 656 रकबा 0–06 हैक्टे0 एवं 657 रकबा 0–01 हैक्टे0 गैर मु0 चाह को अप्रार्थीगण सूखा पुत्र परभाती जाति माली साकिन डीग के नाम बन्दोवस्त में खातेदारी दर्ज किया गया। जबकि बन्दोवस्त विभाग को सरकारी भूमि को किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी में बिना किसी आधार के दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सूखा उक्त भमि पर अबैध रूप से सरकारी भूमि पर खातेदारी का दुरूपयोग कर कूए को अपने आधिपत्य मे ले लिया है कूआ सार्वजनिक सरकारी है एवं पानी पीने व अन्य कार्य में आ रहा है। अप्रार्थी अबैध रूप से दर्ज खातेदारी की आड में अपने अधिपत्य में लेने से सार्वजनिक हित प्रभावित हुए एवं सरकार को अपरमित क्षति हुई है। अतः निवेदन है कि सरकारी भूमि साविक खसरा नम्बर 627 को गत रिकार्ड के अनुसार हाल रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 655/0–06 व 657/0–01 हैक्टे0 को अप्रार्थी के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन करते हुए सिवायचक दर्ज करने की आज्ञा फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 656 व 657 को बन्दोवस्त विभाग द्वारा सूखा पुत्र परभाती के नाम दर्ज नहीं किया है बल्कि सूखा पुत्र परभाती ने उक्त आराजी दीगर खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। विवादित खसरा नम्बर 656 व 657 कभी भी सरकारी भूमि सिवायचक का भाग नहीं रही है और ना ही उक्त आराजी में कोई कूआ बना हुआ है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मं सूखा मृतक पिता अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिससे प्रार्थी सरकार का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया है। नवीन खसरा नम्बर 656 व 657 रकबा 0.01 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग अप्रार्थीगण के पिता सूखा पुत्र परभाती की खातेदारी की आराजी है। जिस पर उक्त सूखा अपने जीवनकाल मे शुरू से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहा है। जिसने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी खसरा नम्बर 656 व 657 को जरिये दानपत्र दिनांक 02.09.2013 को अपने पौत्र उमेश व मनीष पिस0 गोविन्द को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र हस्तान्तरित कर दिया गया है और तभी से उक्त आराजी पर दानग्रहिता उमेश व मनीष पुत्रगण गोविन्द वाहैसियत खातेदार काबिज है। उक्त आराजी शुरू से ही खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि सिवायचक भूमि ना होकर काबिल काश्त भूमि है। अतः जबाव अप्रार्थीगण पेश कर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार के द्वारा दिनांक 11.02.2022 को प्रकरण में जबाव पेश किया गया। जबाव में अंकित किया है कि मुताविक जमाबन्दी वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग सम्बत 2024 से 2027 के अनुसार मुत0 आराजी खसरा नम्बर साविक 627 रकबा 07 विस्वा खाता संख्या 01में पानी के नीचे डूवे खसरा नम्बरान में किस्म गै.मु. चाह दर्ज रिकार्ड था तथा मुताविक नकल मिलान क्षेत्रफल के साविक खसरा नम्बर 627 रकबा 07 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 656 रकबा 0.06 हैक्टे0 व 657 रकबा 0.01 हैक्टे0 बनाये गये है।दौराने बन्दोवस्त भू–प्रबंध विभाग ने बिना किसी साक्ष्य व अभिलेख के गलत तरीके से अप्रार्थी सूखा वल्द परभाती जाति माली सा0 डीग की खातेदारी में दर्ज कर दिये गये तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 627 की किस्म बारानी प्रथम व 657 किस्म गै.मु.चाह कर दिया गया है। जबकि भू–प्रबंध विभाग को किस्म बदलने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार सिवायचक गै.मु.भूमि को बिना किसी आधार के दीगर व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से हाल ख0नम्बर 656 व 657 की कलमजन किया जाकर सिवायचक(राज.सरकार) के नाम मय किस्म गै. मु.चाह दर्ज किया जाना उचित होगा। उक्त मुतनाजा आराजीयात सार्वजनिक हित की भूमि है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत दर्ज कर दिया गया है इससे राज.सरकार व सार्वजनिक हित प्रमाणित हो गये है। मुत0 प्रार्थी ख0नम्बर साविक 627 रकबा 0–07 विस्वा किस्म गै.मु.चाह पानी के नीचे डूबे क्षेत्र में जमाबन्दी सम्बत 2024–2027 को राज. सरकार के नाम की मिल्कियत थी तथा साविक खसरा नम्बर 627 अब्दुल रहमान बनाम राज.सरकार से भी प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में किसी दीगर व्यक्ति को खातेदारी हक नहीं दिये जा सकते है। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। सायल/ तहसीलदार डीग ने अपनी लिखित बहस पेश की गई। बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अंकित किया गया है कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आराजी गत खसरा नम्बर 627 रकबा 7 विस्वा गै.मु.चाह वाके ग्राम अचलपुर सरकारी कूआ सम्बत 2024 लगायत 2027 की जमाबन्दी में दर्ज है। मिसिल बन्दोवस्त 2040 के खाता संख्या सं. 210 में ख0 नम्बर 656,657 पर सूखा पुत्र परभाती कॉम माली निवासी कस्बा डीग के नाम बन्दोवस्त विभाग सरकारी भूमि को किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी में बिना किसी आधार के दर्ज किया गया है जिसका बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण के जरिये अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे ये प्रमाणित हो कि बिना किसी आधार के बन्दोवस्त विभाग से मिलकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा लिया गया जोकि गै0 कानूनी है।रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2024 लगायत 2027 मिलान क्षेत्रफल व बन्दोवस्त विभाग के रिकार्ड के आधार पर साविक ख0 नम्बर 627 के हाल रिकार्ड के खसरा नम्बर 656 रकबा 0.01 में अप्रार्थीगण के हो रहे इन्द्राज को कलमजन करते हुए सिवायचक दर्ज किये जाने की कृपा करें।

वकील गैर सायलान ने वहस के दौरान प्रस्तुत जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि नवीन खसरा नम्बर 656 रकबा 0.06 व 657 रकबा 0.01 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग अप्रार्थीगण के पिता सूखा पुत्र परभाती की खातेदारी की आराजी है। जिस पर उक्त सूखा अपने जीवनकाल मे शुरू से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहा है। जिसने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी खसरा नम्बर 656 व 657 को जरिये दानपत्र दिनांक 02.09.2013 को अपने पौत्र उमेश व मनीष पिस0 गोविन्द को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र हस्तान्तरित कर दिया गया है और तभी से उक्त आराजी पर दानग्रहिता उमेश व मनीष पुत्रगण गोविन्द वाहैसियत खातेदार काबिज है। उक्त आराजी शुरू से ही खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि सिवायचक भूमि ना होकर काबिल काश्त भूमि है। बहस के दौरान वकील गैर सायलान ने कानूनी द्वष्टांत में आर.आर.टी. 2009 (2)1018 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2009 उनवानी सुल्तान सिंह बनाम अदराम वगै0 एवं 2011(1) आर.आर.टी.67 उनवानी लालाराम बनाम राज0 सरकार वगै0 निर्णय दिनांक 02.08.2010 तथा 2023(505) उनवानी मनोज सैनी बनाम महेश कुमार निर्णय दिनांक 05.07.2023 पेश किये गये। जोकि इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,प्रार्थी के प्रार्थना पत्र,अप्रार्थीगण के जबाव दावे,उभय पक्ष की बहस तथा कानूनी द्वष्टांतों का अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबन्दी सम्बत 2024–2027 में साविक खसरा नम्बर 627 रकबा 7 विस्वा गै.मु. चाह पानी के नीचे डूवे हुए ग्राम अचलपुर की जमाबन्दी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग सम्बत 2040 में गत खसरा नम्बर 627 में गत खसरा नम्बर 627 से दो खसरा नम्बर 656 रकबा 0.06 हैक्टे0 व 657 रकबा 0.01 हैक्टे0 बनाये गये है। मिसल बन्दोवस्त सम्बत 2040 के खाता संख्या 210 में खसरा नम्बर 656 रकबा 0.06 किस्म बारानी प्रथम, 657 रकबा 0.01 हैक्टे0 किस्म गै.मु. चाह की खातेदारी सूखा वल्द परभाती जाति माली सा. देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीग मुर्तहिन दर्ज है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा सहकारी भूमि की किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी में बिना किसी आधार के दर्ज किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जमाबन्दी सम्बत 2066 से 2069 में भी प्रविष्टियां मिसल बन्दोवस्त के अनुसार ही खातेदारी सूखा पुत्र परभाती के नाम दर्ज है। दिनांक 02.09.2013 को सूखा पुत्र परभाती के द्वारा उमेश आयु 13 साल, व मनीश आयु 15 साल,पुत्रगण गोविन्द नाबालिग सरपरस्त पिता खुद गोविन्द पुत्र सूखा के पक्ष में खसरा नम्बर 656 रकबा 0.06 व 657 का निष्पादित दानपत्र भी अकृत एवं शून्य है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक द्वष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार डीग द्वारा एल.आर.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

एक्ट की धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–प्रबंध विभाग की प्रविष्टियों को कलमजन किया जाकर सिवायचक दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल.आर.एक्ट,स्वीकार किया जाता है। साविक ख0 नम्बर 627 के हाल रिकार्ड के खसरा नम्बर 656/0–06 तथा 657/0–01 हैक्टेयर वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग में अप्रार्थीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने आदेश प्रदान किये जाते है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner